न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 05, मथुरा

सत्र वाद सं० 124/2017

राज्य बनाम सचिन सिंह

मु०अ०सं० 554/2016

धारा 25 ए आयुध अधिनियम

थाना गोविन्द नगर, जिला मथुरा।

आरोप

मैं अमरपाल सिंह अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 05 मथुरा आप अभियुक्त सुनील सिंह पर निम्न आरोप लगाता हूं:-

यह कि दिनांक 24-09-2016 को समय करीब 18.20 बजे व स्थान राधापुरम आवासीय कालोनी गेट नं० 2 के पास थाना गोविन्द नगर जिला मथुरा के अंतर्गत आप अभियुक्त सुनील सिंह वादीगण पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये तथा पकड़े जाने पर आपकी जामा तलाशी से आपके कब्जे से एक तमन्चा देशी 315 बोर जिसकी नाल में फसा एक खोखा कारतूस तथा 4 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, जिन्हें रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 25 ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(अमरपाल सिंह)

दिनांक 26-05-2017

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं० 05, मथुरा।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण चाहा।

(अमरपाल सिंह)

दिनांक 26-05-2017

अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं० 05, मथुरा।